छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी.एस.जे.एम.यू./मु.प्र./60/2017 ***निविदा सूचना*** दिनांक 04/03/2017

विश्वविद्यालय परिसर स्थित किराये पर कैण्टीन संचालन हेतु मुहरबन्द निविदायें दिनांक 25/03/17 को अपराह्न 2.00 बजे तक सम्पत्ति अधिकारी के कक्ष में रखे टेण्डर बॉक्स में जमा की जायेगी, जो उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे सभाकक्ष में खोली जायेंगी। निविदा प्रपत्र,शर्तें व अन्य .विवरण वि0वि0 की वेबसाइट **www.kanpuruniversity.org** पर उपलब्ध है ।(कुलसचिव)

(रामचन्द्र अवस्थी)
कुलसचिव

Gram : UNIVERSITY
FAX : 0512-2570006

2570301(O)
2570450
2570882(R)

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

Ref.No. CSJMU/DR(PP)/ 60 /2017
कमांक :

Dt. 04/03/2017
मूल्य रू0 500/–(पांच सौ मात्र)

निविदा – प्रपत्र

वर्ष 2017–18 में विश्वविद्यालय परिसर स्थित किराये पर **जलपान गृह (कैण्टीन) संचालन हेतु** दरें आमंत्रित की जाती है। निविदा वि0वि0 के सम्पत्ति विभाग में रखे गये टेण्डर बाक्स में डाली जायेगी, पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से भेजी गयी निविदा प्रत्येक दशा में निविदा में निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक प्राप्त हो जानी चाहिए उसके पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जायेगा। प्राप्त निविदायें निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि को अपरान्ह 3.00 बजे विश्वविद्यालय परिसर स्थित प्रशासनिक भवन के द्वितीय तल स्थित सभा कक्ष में खोली जायेगी। निविदा पत्र के लिफाफे के ऊपर **"जलपान गृह (कैण्टीन) संचालन 2017–18 एवं केन्द्रीय मूल्यांकन सत्र 2016–17 जलपान व्यवस्था हेतु निविदा"** लिखना आवश्यक है। निविदा प्रपत्र को निर्धारित धनराशि रू0 500.00 जमा कर वि0वि0 के कैश काउण्टर से प्राप्त किया जा सकता है तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.kanpuruniversity.org से भी डाउनलोड किया जा सकता है, किन्तु डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ रू0 500.00 का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा। जो कि "वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर" के नाम से देय होगा।

निविदा में प्रतिभाग के लिए जलपान गृह (कैण्टीन) संचालन हेतु रू0 50000.00 की धरोहर धनराशि बैंक ड्राफ्ट/सावधिक जमा के रूप में "वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर" के नाम जमा करना आवश्यक है, जिसके अभाव में प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जायेगा। अपेक्षित नियम/शर्ते निविदा–पत्र के साथ संलग्न है।

निविदा–प्रपत्र का विवरण निम्नवत् है :

1. निविदादाता/फर्म का नाम :
2. पिता का नाम :
3. पता :
4. टिन नंम्बर : वैद्यता की अवधि :
5. कार्य का अनुभव प्रमाण सहित :
6. आयकर कर का पैन नम्बर :
7. खाद्य विभाग का पंजीकरण नं0 : वैद्यता की अवधि :
8. निविदा प्रपत्र कय करने सम्बन्धी प्राप्त रसीद का विवरण :

   बैंक का नाम .... ड्राफ्ट सं0 व तिथि .... धनराशि ....

   बुक सं0 कम सं0 रू0 दिनांक
   (एक प्रति संलग्न करें)

10. कैण्टीन हेतु धरोहर धनराशि जमा करने का विवरण :

    बैंक ड्राफ्ट सं0 दिनांक रू0 संलग्न करें ।

11 केन्द्रीय मूल्यांकन हेतु जलपान व्यवस्था हेतु धरोहर धनराशि जमा करने का विवरण :

   बैंक ड्राफ्ट सं0 दिनांक रू0 संलग्न करें ।

12. इस निविदा के साथ संलग्न नियम शर्ते पूर्ण रूप स्वीकार है निविदा स्वीकृत होने की दशा में कार्यादेश प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर अनुबन्ध पत्र सम्पादित कर कैण्टीन /केन्दीय मूल्यांकन हेतु जलपान व्यवस्था का संचालन कार्य समय से प्रारम्भ करूँगा।

आवेदक के हस्ताक्षर :
आवेदक का नाम :
पूर्ण पता :
दूरभाष नं0 :
पैन/टैन नं0 :

Gram : UNIVERSITY
FAX : 0512–2570006

✆ 2570301 (O)
2570450 (O)
2570882 (R)

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कैण्टीन हेतु नियम एवं शर्ते

1. विश्वविद्यालय परिसर में **जलपान गृह(कैण्टीन) संचालन हेतु रू0 50000.00 (रू0 पचास हजार मात्र)** की धरोहर धनराशि के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ जमा करना होगा, जो कि बैंक ड्राफ्ट्/सावधिक जमा के माध्यम से **''वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर''** के नाम देय होगा। धरोहर धनराशि के अभाव में निविदा पर विचार नही किया जायेगा। जिस निविदादाता के पक्ष में कार्यादेश निर्गत किया जायेगा उसकी धरोहर धनराशि को निविदा कार्य की सुरक्षा धनराशि में परिवर्तित करते हुये जमा कर लिया जायेगा।
2. **''केवल वह ठेकेदार निविदा में हिस्सा ले सकेंगे जो कि खाद्य विभाग एवं व्यापार कर तथा आयकर विभाग में पंजीकृत हो जिससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में उनकी निविदा में विचार करना संभव नही होगा।''**
3. दरों का शब्दो एवं अंको में प्रथम बार में ही स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा। दरों के सम्बन्ध के अतिरिक्त कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी। जलपान गृह संचालन का कार्य आवंटन वार्षिक दर पर किया जायेगा इस दर में विद्युत व्यय सम्मिलित नही है।
4. फर्म/कार्यदायी का कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक न होने पर तथा शिकायत प्राप्त होने पर कार्य की अवधि में किसी भी समय आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा जिसके लिए कोई मुआवजा देय नही होगा और न ही उसकी मॉग की जा सकेगी।
5. विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना जलपान गृह संचालन किसी अन्य फर्म या व्यक्ति को स्थानान्तरित करने का अधिकार न होगा।
6. दर सूची में प्रदर्शित शुल्क से अधिक मूल्य वसूल नही किया जायेगा। यदि अधिक मूल्य वसूल करने की शिकायत प्राप्त होगी तो उसे जांच कराकर कार्य आवंटन निरस्त कर जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
7. किसी भी प्रकार का विवाद होने होने पर छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के कुलपति जी का निर्णय अन्तिम होगा तथा उभय पक्षों पर बाध्यकारी होगा, जिसे किसी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकेगी।
8. विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि कोई भी निविदा या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।
9. जलपान गृह चलाने हेतु विद्युत व्यय भार फर्म को नियमानुसार प्रतिमाह विश्वविद्यालय के कैश काउन्टर पर नगद जमा करना होगा। इस सम्बन्ध में अवर अभियन्ता विद्युत द्वारा मॉग पत्र निर्गत किया जायेगा।
10. संलग्न सूची में उल्लिखित दरो के अनुसार ही सामग्री का विक्रय किया जाना अनिवार्य होगा।
11. कार्य अवधि में विचलन/छोड़ने पर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी साथ ही निविदादाता को काली सूची में सूचीबद्व किया जा सकता है।
12. कैण्टीन संचालक को कैण्टीन के बाहर बोर्ड में समस्त सामग्रियो की दरो को प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
13. कैण्टीन परिसर की साफ सफाई का उत्तरदायित्व कैण्टीन संचालक का होगा। साफ–सफाई की स्थिति संतोषजनक न होने पर विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा जुर्माना भी किया जा सकता है।
14. **निविदादाता को वित्तीय दरें सील्ड बन्द लिफाफे में अलग से प्रस्तुत करनी होगी।**
15. फर्म/कैण्टीन संचालकों को कैण्टीन/मेस/कैटरिंग कार्य व संचालन का कम से कम 10 वर्षो का अनुभव होना चाहिये।
16. कैण्टीन संचालक को शिक्षक,कर्मचारियों एवं छात्र/छात्राओं की बैठने की व्यवस्था कैण्टीन के अन्दर अलग–अलग करनी होगी। इस हेतु मेस,कुर्सी इत्यादि को उपलब्ध कराने का दायित्व संचालक का होगा।
17. कैण्टीन संचालक को वि0वि0 के विभिन्न विभागो से प्राप्त होने वाले आडर को समय से उपलब्ध कराना होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मुहर सहित
मो0नं0

छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

कैन्टीन में बेचे जाने वाली सामग्रियो की रेट लिस्ट

कमांक	सामग्री	दर
1	चाय	रू0 5.00
2	डिप/स्पेशल टी	रू0 8.00
3	हाट काफी	रू0 10.00/15.00स्पेशल
4	कोल्ड काफी	रू0 25.00
5	वेज सैण्डविच चटनी सहित	रू0 25.00
6	वेज कटलेट चटनी सहित	रू0 10.00
7	ब्रेड पकोड़ा चटनी सहित	रू0 10.00
8	पाव भाजी	रू0 35.00
9	फिंगर चिप्स	रू0 40.00
10	समोसा	रू0 5.00
11	समोसा विद छोला (02 पीस)	रू0 15.00
12	छोला राइस(फुल प्लेट)	रू0 30.00
13	आलू पराठा(फुल साइज)	रू0 30.00
16	वेज बर्गर	रू0 25.00
17	मैगी प्लेन(100 ग्राम)	रू0 25.00
18	वेज मैगी	रू0 30.00
20	चाऊमीन(फुल प्लेट)	रू0 50.00
21	चाऊमीन(हाफ प्लेट)	रू0 30.00
22	फ्राइड राइस(फुल प्लेट)	रू0 50.00
23	फाइड राइस (हाफ प्लेट)	रू0 30.00
28	छोला भटूरा(2 पीस)	रू0 30.00
29	पूड़ी सब्जी (04 पीस)	रू0 20.00
30	जूस (ठण्डा)	Printed rate पर
31	कोल्ड ड्रिंक (ठण्डा)	Printed rate पर
32	मिनरल वाटर (ठण्डा)	Printed rate पर

नोटः 1. पैक्ड सामग्री अंकित मूल्य पर बेची जायेगी।

2. एक्सपायरी डेट की सामग्री कैन्टीन में उपलब्ध होने पर फर्म को विश्वविद्यालय द्वारा काली सूची मे डालते हुये सुरक्षा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।